


मध्य प्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय,
// आदेश //

भोपाल, दिनांक ०७/०१/२०२२

क्रमांक एफ १-१६४/२०२१/१८-१ :: राज्य शासन एतद् द्वारा श्री रघुनाथ वर्मा, प्रभारी कार्यपालन यंत्री (मूल पद सहायक यंत्री) नगर पालिका परिषद, खरगौन को अपने कर्तव्यों की अवहेलना एवं पदीय संब्यवहार में अनियमितताएं करने के परिप्रेक्ष्य में तत्काल प्रभाव से संभागीय संयुक्त संचालक कार्यालय, इंदौर संभाग इंदौर में संलग्न किया जाता है।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार



(तरुण राठी)
उप सचिव

मध्य प्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
भोपाल, दिनांक ०७/०१/२०२२

पृ० क्रमांक एफ १-१६४/२०२१/१८-१

प्रतिलिपि :-

१. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्रीजी, म.प्र. भोपाल।
 २. विशेष सहायक, मा.मंत्रीजी नगरीय विकास एवं आवास म.प्र. भोपाल।
 ३. निज सचिव, प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग।
 ४. आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास, म.प्र. भोपाल।
 ५. संबंधित कलेक्टर,म०प्र०।
 ६. संबंधित संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास।
 ७. संबंधित सहायक यंत्री।
 ८. श्री नरेन्द्र भगत, वेब कांटेक्टर मैनेजर, संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास,
 ९. आर्डर बुक,
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


उप सचिव

मध्य प्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग